कार्यालय गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक :- 4030/1/स0अ0/2022-23 दिनांक :- 15/9/22

डॉ0 मिथलेश कुमार
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
गाजियाबाद नगर निगम।

शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1080/नौ-9-21-12ज/20 नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ दिनांक 08.06.2021 के अनुपालन में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा (COTPA) के अन्तर्गत तम्बाकू के विक्रेताओं के लिये उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1950) की धारा 437, 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) एवं (49) एवं 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अधिनियम की धारा 541 (20) के अनुसार तैयार की गयी कोटपा उपविधि 2021 का उ0प्र0 शासन के सरकारी गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशन कराये जाने हेतु निदेशक, निदेशालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज उ0प्र0 को प्रेषित किया गया था, जिसका संबंधित के द्वारा सरकारी गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशन कराकर गजट की प्रति **(प्रयागराज, शनिवार, 10 सितम्बर 2022 ई0 (भाद्रपद 19, 1944 शक् संवत) दिनांक 27 मई 2022)** उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः उपरोक्त सरकारी गजट (तम्बाकू उत्पाद नियन्त्रण लाईसेन्स उपविधि 2021) की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त उपविधि को वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू कराते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि नगर निगम के राजस्व आय में वृद्धि हो सके।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

(महेन्द्र सिंह तंवर)
आई0ए0एस0
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः- समस्त अपर नगर आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(महेन्द्र सिंह तंवर)
आई0ए0एस0
नगर आयुक्त

Scanned with CamScanner

(6) पार्किंग स्थल पर वाहन पंक्तिबद्ध खड़े किये जायेगें ताकि अन्य वाहन को पार्किंग स्थल से बाहर निकालने में असुविधा न हो सके।

(7) लोक हित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा-पत्र, निलम्बित या निरस्त कर दें।

(8) समुचित अनुरक्षण और प्रबन्धन अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

(9) अनुज्ञापी का यह दायित्व होगा कि पार्किंग स्थल के परिसर की सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(10) पार्किंग स्थल पर हुई किसी प्रकार टूट फूट या क्षति की प्रतिपूर्ति संचालक से की जायेगी।

9—पार्किंग स्थल हटाने की शक्ति — यदि कोई व्यक्ति, संस्था, एजेन्सी, पार्टनर ठेकेदार या संचालक इस नियमावली के प्राविधनों का उल्लंघन कर पार्किंग कार्य को संचालित करता है, तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे हटवा सकता है अथवा पार्किंग का कार्य बन्द करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्यवाही जिसे वह उचित समझे, कर सकता है।

10—पार्किंग हेतु निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा — नगर निगम या राज्य सरकार किसी क्षेत्र या वार्ड में पार्किंग स्थलों के निर्माण, विकास अथवा संचालन के लिये निषिद्ध घोषित कर सकेगी।

11—प्रवर्तन — अनधिकृत और त्रुटिपूर्ण पार्किंग के लिये वाहन हटाने के प्रभार के साथ कार्यवाही नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

12—अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन — (1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

कार्यालय नगर निगम, गाजियाबाद

तम्बाकू उत्पाद नियन्त्रण लाईसेन्स उपविधि 2021

27 मई0 2022 ई0

सं0 3392—न0आ0/2022-23—शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या—1080/नौ—9—21—12ज/20 नगर विकास अनुभाग—9, लखनऊ दिनांक 08.06.2021 के अनुपालन में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा (COTPA) के अन्तर्गत तम्बाकू के विक्रेताओं के लिये उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1950) की धारा 437, 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) एवं (49) एवं 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अधिनियम की धारा 541 (20) उपविधि 2021 तैयार की गयी है, जिस पर मा0 सदन की आहुत बैठक दिनांक 27 नवम्बर 2021 के प्रस्ताव सं0-473 के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति की गयी है।

उक्त उपविधि के संबंध में 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय पत्र दिनांक 11.06.2021 के माध्यम से दो समाचार-पत्रों दैनिक ''दैनिक जागरण एवं उदय भूमि'' में दिनांक 18 जून 2021 को प्रकाशन कराया गया। तदोपरान्त् निर्धारित 15 दिवस की अवधि के अन्दर कुल 656 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए है, जिनका समिति का गठन करते हुए नियमानुसार सुनवाई कराकर निस्तारण करा दिया गया है।

Scanned with CamScanner

तदोपरान्त् उक्त उपविधि को मा० सदन द्वारा प्रस्ताव सं0–473 दिनांक 27 नवम्बर 2021 द्वारा अनुमोदित करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–**

(1) यह उपविधि गाजियाबाद नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि 2021 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार गाजियाबाद नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

2. **तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यताः–**

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का अधार कार्ड अनिवार्य है, गाजियाबाद से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती हैं।

3. **वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्कः–**

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 200.00 स्थाई दुकानों हेतु रु0 1,000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिए रु0 5,000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए रु0 5,000.00 फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिए रु0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रु0 100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4. **तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालनः**–पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगाः–

(1) शैक्षणिक संस्थानों 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जायेगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अंतर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जायेगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

5. **नियम एवं शर्तेः–**

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाईसेंस का नवीनाकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाईसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेगें।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पदों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।

Scanned with CamScanner

(5) किन्ही परिस्थितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतवानी दी जायेगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा निलंबन कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद् किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद् होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल, मॉल, थोक बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होगी, जो गुमटी लगाते है। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रु0 5,000.00 व समाग्री जब्त, तीसरी बार रु0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयतित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

6. **पंजीकरण की प्रक्रियाः–**

(1) नगर निगम, गाजियाबाद में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार पर मानवीय इस्तेमाल पर निर्बधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संबंध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम, गाजियाबाद के द्वारा निर्धारित आवेदन फर्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन कराना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रामण-पत्र दिया जायेगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेगें।

(5) प्रमाण-पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

8. **नामित अधिकारीः–** गाजियाबाद नगर निगम में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञापित लाईसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता/मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बधन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनुज्ञापित लाईसेन्स जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

9. **वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधिः**–उक्त उपविधि को गाजियाबाद नगर निगम के मा0 सदन के प्रस्ताव सं0–473 दिनांक 27.11.2021 को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जो गजट की प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

Scanned with CamScanner